सं०५१५-

223/2018/225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गोपाल V/S जितेन्द्र व०

तारीख पेशी	2018/00223 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 9A-4 श्री मो० इकबाल श्री तुलवीर सिंह चौहान/रे3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
10/10/22	गोपाल बनाम जितेन्द्र वगैरह (2018/00223) पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 3 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस कैम्प कोर्ट सुनवाई नहीं दिया गया। जिससे अपीलांट कैम्प कोर्ट में उपस्थित नही हो पाया और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2018 को कैम्प कोर्ट में आदेश पारित किये थे उस समय केवल रेस्पोडेन्ट ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे।सर्वप्रथम अपीलांट को उपरोक्त आदेश की जानकारी दिनांक 28.06.2018 को हुयी जब रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की। जिस पर अपीलांट द्वारा न्यायालय मे अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर उपरोक्त तथ्यों की जानकारी ली। जहॉ अभिभाषक ने अपीलांट को अवगत करया कि कैम्प कोर्ट के तहत् आदेश पारित किये थे इसलिए आगे अपील करने की आवश्यकता है। जिस पर नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावे। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने अपील पर बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांट के द्वारा रामदेव से क्रय किया गया था जिसके पश्चात् से ही वह उपरोक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु पश्चातवर्ती विक्रय-पत्र जो कि रामदेव की विरासत के आधार पर हुआ। जिससे रेस्पोडेन्ट ने स्वयं का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया और वही अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर आमादा हो रहे है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए ही दिनांक 12.03.2018 को प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई जिसके पश्चात रेस्पोडेन्ट को जवाब हेतु नोटिस जारी किये गए तथा दिनांक 10.05.2018 को उपरोक्त वाद ग्राम खीरीया में राजस्व लोक अदालत के तहत् प्रस्तुत होने पर बिना अपीलांट को सुने अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कानूनी प्रावधानो के बाहर जाकर सारहीन व भारहीन मानते हुए खारिज करने कानूनी त्रुटि कारित की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंद करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 10.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र खीरिया में उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किये गये थे वाद तामील पत्रावली में सलंग्न है। अपीलांट का यह कहना की कैम्प कोर्ट के नोटिस प्राप्त नहीं होना कहना गलत है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में देरी का उक्त कारण ही अंकित किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सरवाड़

223/2018/226

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गोपाल V/s जितेन्द्र आदि

तारीख	2018/00223 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 9A-4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री गो. डबवाल श्री तुलबीर सिंह चौधरी	

लगातार

तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने दो प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किये है पहला प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2016 पेश किया तत्पश्चात दिनांक 12.03.2018 को पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त किये है जो विधिक त्रुटि कारित की थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो दिनांक 10.05.2018 जो आदेश पारित किये है विधि सम्मत है इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 14/2018 व प्रार्थना पत्र 106/2016 में वादग्रस्त आराजी समान है किन्तु दोनो प्रार्थना पत्रों में पक्षकार अलग अलग है ऐसी स्थिति में 14/2018 बउनवानी गोपाल बनाम जितेन्द्र वगैरह को सारहीन व भारहीन मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है तथा प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निर्णित नहीं किया गया है। वाद के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए विवादित आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा10 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ के आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा10 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर